पत्रांक–1 / व0 1–07 / 2026– 194 /

बिहार सरकार

कला एवं संस्कृति विभाग

प्रेषक

महमूद आलम,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी)
कला एवं संस्कृति विभाग,
बिहार, पटना।

पटना दिनांक 06/10/2026

विषय– वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत निधि का आवंटन।

महाशय,

स्वीकृत्यादेश संख्या 437 दिनांक 18.09.2026 के आलोक में बिहार संग्रहालय, पटना एवं पटना संग्रहालय, पटना के स्थापना एवं सम्यक संचालन तथा रख–रखाव के निमित्त बिहार संग्रहालय समिति, पटना को सहायक अनुदान हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में मांग संख्या–08 के अधीन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट शीर्ष "2205–कला एवं संस्कृति–107–संग्रहालय–0001–संग्रहालय, विपत्र कोड 08–2205001070001 के अन्तर्गत विषय शीर्ष 3104–सहायक अनुदान–वेतन में तत्काल कुल राशि ₹ 3,25,00,000/–(तीन करोड़ पचीस लाख रूपये) मात्र का आवंटन निम्नांकित रूप से आपके नियंत्राधीन व्यय के लिए सौंपा जाता है:–

विषय शीर्ष	पूर्व आवंटन	तत्काल आवंटन	कुल आवंटन
3104–सहायक अनुदान–वेतन	₹ 0	₹ 3,25,00,000	₹ 3,25,00,000
योग–	₹ 0	₹ 3,25,00,000	₹ 3,25,00,000

तत्काल आवंटित राशि ₹ 3,25,00,000/–(तीन करोड़ पचीस लाख रूपये) मात्र।

2 यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 एवं 236/वि0, दि0 09.03.2026 एवं 314/वि0 दिनांक 01.04.2026 के आलोक में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित अधिसीमा 65 प्रतिशत के अन्तर्गत दिया जा रहा है।

3 राशि की निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली–2024(संशोधित), बिहार लोक निर्माण सहिता, बिहार अधिमानता नीति–2024 एवं वित्त विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत संकल्पों, पत्रों के आलोक में किया जायेगा।

4 वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–12888 दि0 03.12.2024 में निहित प्रावधानों के आलोक में राशि की स्वीकृति दी गई है।

5 स्वीकृत्यादेश संख्या 437 दिनांक 18.09.2026 के द्वारा बिहार संग्रहालय समिति, पटना को ₹ 3,80,20,000/–(तीन करोड़ अस्सी लाख बीस हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति दी गयी है। वित्त विभाग द्वारा निर्धारित अधिसीमा 65 प्रतिशत के अंतर्गत CFMS में तत्काल कुल ₹ 3,25,00,000/–(तीन करोड़ पचीस लाख रूपये) मात्र उपलब्ध रहने के कारण तत्काल कुल ₹ 3,25,00,000/–(तीन करोड़ पचीस लाख रूपये) मात्र का आवंटन दिया जा रहा है। शेष राशि का आवंटन तृतीय चौमाही में की जायेगी।

6 स्वीकृत राशि के लेखा जोखा अलग रखा जायेगा। भारत/बिहार सरकार के वित्त अंकेक्षण को स्वीकृत राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा। स्वीकृत राशि या उसके किसी अंश का दुरूपयोग प्रमाणित होने पर संबंधित संस्था से राशि वसूलनीय होगी।

7 स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

8 प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

(महमूद आलम)
सरकार के संयुक्त सचिव।
पटना, दिनांक 06/10/2026

ज्ञापांक 194 /

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, कार्यालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।
पटना, दिनांक 06/10/2026

ज्ञापांक 194 /

प्रतिलिपि :– सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, संग्रहालय निदेशालय/लेखा शाखा/ आई0 टी0 मैनेजर, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।